(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 190/2022

पंजीकरण संख्या :– 2022/180

बउनवान

हजारीलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा निवासी दीलोद हाथी तहसील अटरू जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. कान्तिबाई पत्नी हेमराज जाति चमार निवासी मुसेनमाताजी तहसील अटरू जिला बारॉ
2. मनभर पत्नी गुलाबचंद जाति चमार निवासी रतनपुरा खेडलीगंज अटरू जिला बारॉ
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 44/2018 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 की अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत

उपस्थित :– 1– श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (अपीलांट)
2– श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (रेस्पो. कम 1 व 2)
3– पेरोकार सरकार (रेस्पो0 कमा 3)

निर्णय दिनांक 28.03.2024

अपीलांट द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 44/2018 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान कान्तिबाई बनाम हजारीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 से अप्रसन्न होकर अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टगण के अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 24.06.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया ओर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु पेश किया जिसकी प्रति रेस्पो. के अभिभाषक को दी गई, उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर स्वीकार किया गया ओर शपथग्रहिता चन्द्रकला, राधेश्याम, रामकुंवार के शपथ पत्र स्वीकार किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण मे लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर स्वीकार किया गया ओर प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत [illegible] के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि रेस्पो0/प्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे [illegible] प्रा[illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट पेश कर निवेदन किया कि [illegible] की आराजी खसरा नम्बर 157/2149, 157/2150, 158, 1[illegible] 174, 176, 2185/1[illegible] किता 11 रकबा 2.51 हेक्टेयर है भूमि रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण [illegible] खाते व कब्जे काश्त मे [illegible] आ रही थी, जिसमे खसरा नम्बर 158 रकबा 0.17 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 157/2149 रकबा 0.14 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 157/2150 रकबा 0.01 हेक्टेयर विवादित है तथा रेस्पो0/प्रार्थीया अनु0 जाति वर्ग की सदस्या है तथा अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि पर जबरन ताकत के बल पर दिनांक 20.07.2018 को कब्जा कर लिया। रेस्पोडेन्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा चाहने बाबत निवेदन किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने मे गम्भीर कानूनी त्रुटि की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर खसरा नम्बर 157/2150 रकबा 0.01 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 157/2149 रकबा 0.14 हैक्टेयर पर अपीलांट का कब्जा बताने मात्र से हीं अपीलांट को बेदखल करने का विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट को कोई नोटिस जारी किया और न हीं प्रकरण में उसकी कोई अनुपस्थिति दर्ज की जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना दूसरे पक्षकार को सुने उसके खिलाफ कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है।

अपीलांट की ओर से चंद्रकला, राधेश्याम एवं रामकुंवार जाति चमार वगैराह द्वारा इस न्यायालय में शपथपत्र प्रस्तुत किए गए जिसमें उल्लेख किया गया कि ग्राम दीलोद हाथी तहसील अटरू की आराजी खसरा नं. 157/2149, 157/2150, 158, 160, 162, 163, 170, 173, 174, 176, 2185/157 कुल किता 11 रकबा 2.51 हेक्टेयर भूमि उनके परिवार के नाम दर्ज थी जिसे उन्होंने कांतिबाई पत्नी हेमराज जाति चमार निवासी मूसेन माताजी तहसील अटरू तथा मनभर पत्नी गुलाबचंद जाति चमार निवासी रतनपुरा खेडलीगंज तहसील अटरू को बेचान किया था तथा उस समय खसरा नं. 157/2149 रकबा 0.14 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 157/2150 रकबा 0.01 हैक्टेयर आराजी पर उनका कब्जा नहीं था तथा उन्होंने उक्त दोनों खसरा नंबरान का न तो बेचान किया और न हीं कब्जा संभलाया। यह बात दोनों खरीदारानों को बता दी गई थी। उन्होंने बालू खाल चौराहा से जो मुसेन माताजी का रोड निकला है उस साइड की जमीन का बेचान नहीं किया है। इस जमीन पर उनके पिताजी ने जिन खातेदारों से खरीदी थी उन्होने पूर्व में यह जमीन हजारीलाल पुत्र रामचंद्र मीणा के पूर्वजों को बेच रखी थी तथा तब से हीं हजारीलाल पुत्र रामचंद्र मीणा का कब्जा चला आ रहा है तथा दोनों क्रेताओं द्वारा हजारीलाल पुत्र रामचंद्र के विरुद्ध झूठी कार्यवाही पेश की है। उन्होंने कभी भी उक्त विवादित आराजियात का बेचान क्रेतागण को नहीं किया है।

उपरोक्त विवादित आराजी के खातेदार गोपाल वल्द मांगीलाल जाति हरिजन निवासी दीलोद हाथी थे तथा उनके द्वारा उनके जीवनकाल में उक्त आराजी रकबा 2 बीघा जमीन जो मोठपुर का रास्ता जिसके पश्चिम की तरफ गडार के पास की दक्षिण में सडक उत्तर में रामचंद्र मीणा पूर्व में गोपाल महाराज का खेत के पास वाली 2 बीघा आराजी का बेचान रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 20.06.1972 को कर दी थी। तबसे अपीलांट उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक स्वामी होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त बेचाननामा की जानकारी पटवारी हल्का को थी परंतु हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त बेचाननामें का जिक्र नहीं कर तथा अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल करने का विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया गया है। जब राजस्व टीम अपीलांट के खेत पर पहुंची तब अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 10.06.2022 को हुई।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2019 प्रकरण सं. 44/2018 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रकरण को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांट को अपनी जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित फरमावे। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

रेस्पोडेन्टगण के [illegible] कहा गया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30[illegible] अपील इस न्यायालय मे 31 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। [illegible] कान्तिबाई पत्नी हेमराज जाति चमार निवासी [illegible] बाई पत्नि गुलाबचन्द जाति चमार निवासी रतनपुरा खेडलीगंज तहसील अटरू [illegible] राजस्व रेकार्ड मे एस.सी. की खातेदार है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के मद नम्बर 4 मे [illegible] किया गया है कि विवादित आराजी के खातेदार गोपाल वल्द मांगीलाल जाति हरिजन निवासी दिलोद हाथी थे तथा उनके द्वारा उनके जीवनकाल मे उक्त आराजी रकबा 2 बीघा जमीन हो मोठपुर का रास्ता जिसके पश्चिम की तरफ गडार के पास की दक्षिण मे सडक उत्तर मे रामचन्द्र मीणा पूर्व मे गोपाल महाराज का खेत के पास वाली 2 बीघा आराजी का बेचान रजिस्र्ड विक्रय पत्र द्वारा अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 20.06.1972 को कर दी थी। तब से अपीलांट उक्त आराजी पर बहैसियत मालिक स्वामी होकर काश्त करता

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested

चला आ रहा है। उक्त बेचान नामा की जानकारी पटवारी हल्का को थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उक्त बेचान नामे का जिक्र नही कर तथा अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल करने का विधि विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा प्रार्थीगण कान्तिबाई एवं मनभर बाई के प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गई जिससे यह तथ्य सामने आया कि उनकी भूमि पर हजारीलाल मीणा द्वारा कब्जा कर रखा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू द्वारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। धारा 183(बी) आर.टी. एक्ट मे वर्णित संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया है। रेस्पोडेन्टगण के अभिभाषक द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Gyarsiram v. Pratap – (105) Revision No. 58/Kota of 85, decided on 13th March, 1985 एवं Kaloo Chand & ors. V/s Board of Revenue &ors. –(105) S.B. Civil Writ Petition No. 3006 of 1988, decided on 4th February, 2003 एवं Jeevan Khan v. State of Raj. – (208) Revision No. 13 Ganganagar of 85, decided on 12th Feb. 1988 प्रस्तुत किए गए। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अटरू की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्टगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली जाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत सुनवाई, जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना चाहिये था, जो नही दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार जाकर न्यायालय तहसीलदार, अटरू के प्रकरण संख्या 44/2018 किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) आर.टी.एक्ट बउनवान कान्तिबाई बनाम हजारीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 30.10.2019 न्यायोचित प्रतीत नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अटरू को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किये जाकर जवाब प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2024** को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.05.21 12:59:57 IST
Reason: SelfAttested